



कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai -
600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल
साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
असाधारण आम बैठक का नोटिस

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

मंगलवार, 02 मार्च, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे

Tuesday, the 02nd March, 2021 at 11.00 a.m

महत्वपूर्ण तिथियां

IMPORTANT DATES

<p>असाधारण आम बैठक की तिथि, समय और माध्यम</p> <p>Date, time and mode of Extraordinary General Meeting</p>	<p>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 02 मार्च, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे</p> <p>Tuesday, the 02nd March, 2021 at 11.00 a.m through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)</p>
<p>वक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए ई-मेल भेजने की अंतिम तिथि</p> <p>Last date for sending e-mail request to get registered as a speaker</p>	<p>मंगलवार, 23 फरवरी, 2021 (कारोबार का समय समाप्त होने तक)</p> <p>Tuesday, the 23rd February, 2021 (Close of business hour)</p>
<p>बैठक के कार्यसूची मद पर वोट करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण की तिथि</p> <p>Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda item of the meeting.</p>	<p>मंगलवार, 23 फरवरी, 2021 (कारोबार का समय समाप्त होने तक)</p> <p>Tuesday, the 23rd February, 2021 (Close of business hour)</p>
<p>रिमोट ई-वोटिंग</p> <p>Remote e-voting</p>	<p>शुक्रवार, 26 फरवरी, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सोमवार, 01 मार्च, 2021 अपराह्न 05.00 बजे तक</p> <p>From 10.00 a.m. on Friday, the 26th February, 2021 to 5.00 p.m. on Monday, the 01st March, 2021.</p>



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक ("बैंक") के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **मंगलवार, 02 मार्च, 2021** को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

मद संख्या 01 :

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से रु.4000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी का अर्जन।

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधन(नों) सहित अथवा रहित निम्नलिखित संकल्प(पों) को **विशेष संकल्प(पों)** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 ("स्कीम") और इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 ("विनियम") समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन के लिए उनके द्वारा निर्धारित निबंधनों, शर्तों एवं उनमें संशोधनों के अधीन जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु बोर्ड की सहमति हो और विनियमों अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") यथा अद्यतन संशोधित/आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों और/तथा अन्य सभी प्रयोज्य विधियों और समय-समय पर अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित, के प्रावधानों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जानेवाली समिति को शामिल माना जाएगा) को दी जाती है कि वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर कुल रु.4000 करोड़ (रुपये चार हजार करोड़ मात्र) तक रु.10.00 प्रति के अंकित मूल्य के उस संख्या में इक्विटी शेयर भारत या विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/सूचीपत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज के जरिये सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन इस प्रकार करे (उस समय प्रयोज्य विधि द्वारा यथा अनुमत निर्गम के ऐसे भाग और ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/अथवा प्रतिस्पर्धी आधार संबंधी आरक्षण के प्रावधान सहित) कि भारत सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00 प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी, चाहे बाजार मूल्य या उसमें छूट पर, एक या अधिक शृंखलाओं में, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों – निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं ("क्यूआईबी") यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"),

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं, अथवा अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या अन्य श्रेणी के निवेशकों जो मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं या उपर्युक्त का संयोजन के रूप में जैसा बैंक द्वारा उचित समझा जाए, सहित हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन इसके अधिक आबंटन के विकल्प सहित या रहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू के रूप में या इनके संयोग के रूप में होगा और यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों और आरबीआई, सेबी और संबंधित अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय पर इस प्रकार से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे, किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निर्णय लेने का प्राधिकार होगा कि वह इस प्रकार से और जहां भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों या अन्यथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने विवेकाधिकार से सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों, कोई अन्य या सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक है अथवा नहीं, ऐसे मूल्य पर जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के संगत उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम न हो, का निर्णय ले सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के उपबंधों, इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के उपबंधों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के उपबंधों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), उद्योग नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों (जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से "समुचित प्राधिकरण" कहा गया है) से अपेक्षित अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा मंजूरी के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा मंजूरियां (जिन्हें आगे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा गया है) प्रदान करते समय इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत यथा उपबंधित, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के आधार पर क्यूआईबी (सेबी आईसीडीआर विनियम में यथा परिभाषित) के लिए दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज/राइटिंग/परिपत्रों/ज्ञापनों आदि के माध्यम से और सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्य, निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में इक्विटी शेयर या वारंटों से इतर प्रतिभूतियों का सृजन, निर्गम, प्रस्ताव और आबंटन कर सकता है, जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हो, इस प्रकार से कि केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 52.00 प्रतिशत से कम धारण न करें।"

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के मामले में :

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियम के अन्तर्गत परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा।
- ख) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176 (1) के उपबंध के अनुक्रम में बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम में यथानिर्धारित आधार मूल्य पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक छूट के साथ शेयरों को प्रस्तावित करने हेतु प्राधिकृत है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को प्रस्ताव में स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का एनआरआई, एफआईआई, एफपीआई और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा प्रयोज्य आरबीआई के अनुमोदन के अधीन किंतु अधिनियम में निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए शेयर इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999, यथासंशोधित के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा किसी भी समय घोषित किए जाने वाले तथा ऐसी घोषणा के समय प्रभावी एवं मौजूदा सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के पात्र होंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम/आबंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, पब्लिक ऑफर की शर्तों के साथ-साथ निवेशकों के वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और करारों का निष्पादन करने जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा पब्लिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम की आय के उपयोग के संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और बैंक के सर्वोत्तम हित में, शेयरधारकों से अतिरिक्त अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, अपने विवेकानुसार जैसा उचित और ठीक समझे, निबंधनों और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, भिन्नताओं, फेरबदल, विलोपन, वृद्धि को स्वीकार और प्रभावी करने और इस संकल्प के तहत बैंक को प्रदत्त सभी या किसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए किसी मर्चेट बैंकर(रों), बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(यों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेंसियों, जो इस प्रकार के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों

के निर्गम प्रस्ताव में निहित अथवा संबद्ध हों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादन करने, और ऐसी समस्त संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क अथवा तत्समान किसी स्वरूप में पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ भी ऐसी सभी व्यवस्थाएं, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, मर्चेन्ट बैंकर(रों), बुकरनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), विधि सलाहकार(रों), हामीदार(रों), और/अथवा अन्य व्यक्तियों जो कि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के परामर्श से ऐसा करने हेतु प्राधिकृत होगा कि वह निर्गम(मों) के स्वरूप एवं शर्तों का निर्धारण कर सकेगा जिसमें निवेशकों का वह वर्ग जिसे शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंटों का प्रयोग/प्रतिभूतियों के निर्मोचन, ब्याज दर, निर्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा निर्मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, अभिलेख तिथि अथवा बही बंदी का निर्धारण और संबद्ध एवं आनुषांगिक मामले, भारत और/अथवा विदेश में एक या अधिक स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता जैसा कि बोर्ड द्वारा विवेकानुसार उचित समझा जाए, भी सम्मिलित है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयरों को जो कि सब्सक्राइब नहीं हुए हों, बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार से जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए तथा विधि अनुसार अनुज्ञेय निष्पादित किया जा सकेगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड, इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसा आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इन संकल्पों के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प(पों) को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी(यों) को, जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 25 जनवरी, 2021

(पद्मजा चुन्डूरू)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. स्पष्टीकरण विवरण:

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम का संचालन :

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र 14/ 2020, 17/ 2020, 20/2020 एवं 39/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2020 एवं 31 दिसंबर 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचआ/सीएफडी/सीएमडी1 /सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम")के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की ईजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की सशरीर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। ईजीएम के लिए विचारणीय स्थान चैनल में स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा। चूंकि कार्यसूची मद को टाला नहीं जा सकता है, अतः वीसी/ओएवीएम के जरिए बैंक के ईजीएम में इसे संचालित किया जाए।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की है।

सी) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता एवं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

डी) एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुसार, ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com, पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं है, जैसा कि सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

3. मतदान अधिकार :

बैंक ने उक्त कार्यसूची मद हेतु शेयरधारकों के मतदान अधिकार निर्धारित करने हेतु **अंतिम तारीख मंगलवार, 23 फरवरी, 2021** तय की है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त तत्संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक**, मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक (शेयर और बँडकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रजिस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान किए जाने का अधिकारी माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो उस स्थिति में पहले पंजीकृत व्यक्ति ही नामांकन और प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए पात्र होगा।

4. प्राक्सी की नियुक्ति :

एमसीए परिपत्र के अनुसार चूंकि सदस्यों को सशरीर उपस्थिति होने के लिए मना किया गया है, अतः प्राक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इंडियन बैंक (शेयर और बँडकें) विनियम, 1999 के विनियम 62 के तहत इस ईजीएम में सदस्यों द्वारा प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः, प्राक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं है। तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने, वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता करने और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 – सी, द्वितीय तल, 254-260, अटल बिल्डिंग साहू, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति ibinvestorrelations@indianbank.co.in को बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले तक अर्थात् 25 फरवरी, 2021 को कार्य-समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व भेजा जाए।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

चूंकि बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है अतः ईजीएम में उपस्थिति के लिए उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन संपूर्णता से हटने या सभा करने पर प्रतिबंध में राहत मिलने और ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किए जाने और शेयरधारकों के बैठक में उपस्थित रहने के पात्र होने की स्थिति में शेयरधारकों के हित में उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र को बैठक के स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

7. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस मंडेट आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को निम्न पते पर संपर्क करें :-

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

(यूनिट : इंडियन बैंक)

सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं -1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै 600 002

टेलीफोन – 044 – 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)

ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं :

<p>महाप्रबंधक – सीएफओ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044-28134574 ई-मेल : cfo@indianbank.co.in</p>	<p>सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव निवेशक सेवा कक्ष 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044-28134698 ई-मेल : ibinvestorrelations@indianbank.co.in</p>
---	--

8. हरित पहल :

‘हरित पहल’ का समर्थन करने के उद्देश्य से, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत/अद्यतन करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गये हैं तो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पंजीकृत/अद्यतन करें।

9. बैठक में उपस्थिति की प्रक्रिया :

1. सीडीएसएल ई-मतदान के द्वारा संचालित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शेयरधारक ईजीएम में उपस्थिति दर्ज करवा पाएगा। इसके लिए शेयरधारक <https://www.evotingindia.com> में शेयरधारक/सदस्य के रूप में रिमोट ई-मतदान के क्रेडेंशियल का प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में वहाँ उपलब्ध रहेगा जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
2. नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी।
3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटॉप/आई पैड का इस्तेमाल करें।
4. इसके अतिरिक्त बाधरहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
5. मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटॉप का उपयोग करने वाले कृपया नोट करें कि संबन्धित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
6. यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना/प्रश्न पूछना चाहता है तो वह **23 फरवरी, 2021** तक या उससे पहले ibinvestorrelations@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें ईजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह **23 फरवरी, 2021** तक या उससे पहले ibinvestorrelations@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ईजीएम के दौरान या ई-मेल द्वारा दिये जाएंगे।

7. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है वे केवल ईजीएम के दौरान ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।
8. सदन के लिए वीसी/ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों की गणना की जाएगी।

10. ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई-मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के मताधिकारों का निर्धारण दिनांक **23 फरवरी, 2021** (विनिर्दिष्ट तारीख) को उनके द्वारा धारित शेयरों के आधार पर किया जाएगा।

11. सूचना का प्रेषण :

कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नोटिस को डाक से प्रेषित नहीं किया जाएगा बल्कि इसे बैंक या डिपाजिटरि पार्टीसिपेंट में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करनेवाले ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। नोटिस को बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ई-मेल आईडी को अद्यतन करने के लिए शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर है वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को अथवा जिनके पास डिमैट रूप में शेयर है वे डिपाजिटरि पार्टीसिपेंट को संपर्क करें।

12. अदत्त लाभांश /अदावाकृत, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त/अदावाकृत लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/अदत्त रहने पर 30 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदत्त/अदावाकृत रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। तदनुसार, बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक एवं इंडियन बैंक दोनों) तक के अदत्त/अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है।

13. पता/बैंक ब्यौरा/बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा। जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके

संबंधित डिपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके। बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रानिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए।

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे वैध दस्तावेजी सबूत के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन प्रेषित करें एवं यदि अपने बैंक खाते विवरण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रद्द किए गए चेक के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को भेजें।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

14. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सदस्य जो इलेक्ट्रानिक रूप से शेयर रखते हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपना पैन का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जमा करें, भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपना पैन का विवरण प्रस्तुत करें। सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। भौतिक रूप से शेयर्स को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबद्ध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए उन्हें अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार करें और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे संबंधित डीमैट खाते को संचालित करते हैं।

15. ई-मतदान हेतु संवीक्षक

ईजीएम की तारीख पर रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के साथ मतदान की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

16. ई-मतदान एवं संबन्धित प्रक्रिया

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) -	210129005
कार्यसूची मद संख्या 01 : क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू अथवा इसके संयोजन के माध्यम से रु.4000 करोड़ तक इक्विटी पूंजी का अर्जन।	

- (i) नोटिस की कार्यसूची मद हेतु शेयरधारकों के मतदान अधिकार दिनांक **23 फरवरी, 2021** (विनिर्दिष्ट तारीख) को बैंक की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के हिस्से के समानुपात में होंगे
- (ii) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा **26 फरवरी, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से 01 मार्च, 2021 अपराह्न 05.00 बजे** तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को अपराह्न 05.00 बजे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (iii) शेयरधारक वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागू करें।
- (iv) "शेयरहोल्डर" पर क्लिक करें।
- (v) अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।

(क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

(ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,

(ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आपने सीडीएसएल की ईएसआई / ईएसआईईएसटी ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत किया है तो आप [Login - Myeasi](https://www.cdslindia.com) से <https://www.cdslindia.com> पर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉगइन कर सकते हैं। सीडीएसएल की ईएसआई / ईएसआईईएसटी ई-सेवाओं में सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद, ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक कर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट प्रत्यक्ष रूप से डाल सकते हैं।

(vi) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के मतदान में शामिल हुये है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(viii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> जिन शेयरधारकों ने बैंक / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक / आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd @ mm @ yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (v) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।

- (ix) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- (x) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड सृजन" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई-मतदान का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- (xi) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xii) संबंधित < कंपनी का नाम > ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- (xiii) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ/नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xiv) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xv) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके"(OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- (xvi) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टिकृत" (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (xvii) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- (xviii) यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- (xix) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप 'एम-वोटिंग' का उपयोग करके भी अपना वोट दे सकते हैं। एम- वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

(xx) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट –

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात्, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाना चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात् वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्कूटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा; murali@cameoindia.com तथा ibinvestorrelations@indianbank.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

यदि आपको ईजीएम बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा ई-वोटिंग करने से संबन्धित कोई प्रश्न पूछना है या समस्या है, तो तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को प्रेषित करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या 022-23058542 / 43 पर कॉल करें।

इस नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों हेतु ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं:

(ए) भौतिक शेयरधारकों के लिए— कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (पृष्ठ के दोनों तरफ का), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) कार्ड) बैंक/आरटीए के ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

(बी) डिमैट शेयरधारक कृपया अपने डिमैट खाता विवरण (सीडीएसएल- 16 अंकों वाला लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल- 16 अंकों वाला डीपीआईडीसीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) बैंक/आरटीए को ई-मेल आईडी murali@cameoindia.com पर प्रेषित करें।

17. ईजीएम में मतदान

कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मदों के संदर्भ में मतदान शुरू करेगा। यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम या भौतिक रूप से आयोजित होने वाले बैठक में शामिल होने वाले शेयरधारक/परोक्षी/अधिकृत प्रतिनिधि अपना मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि वे शेयरधारक जोकि रिमोट ई-मतदान के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे भौतिक बैठक के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

18. ईजीएम के दौरान ई-मतदान के संबंध में शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं :

1. ईजीएम के दौरान ई-मतदान की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार रिमोट ई-मतदान के निर्देशों के समान ही है
2. केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, ईजीएम के दौरान ई-मतदान हेतु पात्र होंगे।
3. उन शेयरधारकों, जिन्होंने ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है किन्तु वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से होने वाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।
4. रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक ईजीएम में उपस्थित रहने के पात्र होंगे। यद्यपि वे ईजीएम के दौरान मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

19. ईजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान के परिणाम :

रिमोट ई-मतदान के परिणामों को ईजीएम बैठक में ई-मतदान के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण विवरण :

बैंक द्वारा इक्विटी पूँजी का अर्जन :

- (i) आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों के अनुपालन और कारोबार में वृद्धि हेतु आवश्यक निधि प्रदान करने के लिए मजबूत पूँजी आधार बनाए रखने हेतु बैंक को पूँजी की निरंतर आवश्यकता है।
- (ii) बैंक के प्रमोटर, भारत सरकार की बैंक में वर्तमान हिस्सेदारी, 88.06 प्रतिशत है, यानी 75.00 से अधिक है। भारत सरकार (जीओआई) राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 738 (ई) दिनांक 03 अगस्त, 2018 और भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 485 (ई) दिनांक 31 जुलाई 2020 के जरिए संशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के तहत सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से शेयर प्रारंभ होने के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के भीतर बैंक द्वारा सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25.00 प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक अपनी विकास पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाने के लिए क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू के माध्यम से इक्विटी पूँजी बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इन विकल्पों का प्रयोग बैंक द्वारा प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) पूर्वोक्त रूप से इक्विटी पूँजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और ऐसे अन्य प्राधिकरणों से दी गई मंजूरी के साथ जुटाई जाएगी जैसा कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970, सेबी आईसीडीआर विनियम में वर्णित है और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट, सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुपालन में होगा।
- (iv) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अपनी बैठक में शेयरधारकों और अन्य अपेक्षित सांविधिक/विनियामक के अनुमोदन के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक की इक्विटी पूँजी रु.4000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया है।
- (v) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूँजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केंद्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूँजी का बावन प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगी।
- (vi) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुसार जब कभी बैंक द्वारा कोई निर्गम या प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराया जाएगा जब तक कि शेयरधारक आम बैठक में इसे लेने से इंकार न कर दे। यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो इससे बैंक की ओर से बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात में उपलब्ध कराने के स्थान पर अन्य को प्रतिभूतियां निर्गम और आबंटित करने की अनुमति मिल जाएगी।
- (vii) यह संकल्प बैंक को फॉलो ऑन सार्वजनिक निर्गम, और/या निजी स्थानन आधार या भारत सरकार/आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यम से इक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों को सृजित, प्रस्तावित, निगमित और आबंटित करने में सक्षम बनाती है। निर्गम आय से बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में समर्थ होगी।
- (viii) यह संकल्प निदेशक मंडल को आईसीडीआर विनियम द्वारा परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं सहित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के उत्तरदायित्व के लिए समर्थ बनाती है। निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि अर्जन करने हेतु शेयरधारकों से फिर से अनुमोदन लिए बिना आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपना सकती है।

- (ix) सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुरूप क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम "संबंधित तिथि" से पिछले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तुत शेयरों के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न अंतिम मूल्यों के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संबंधित तिथि" से उस बैठक तिथि का तात्पर्य है जिसमें बैंक बोर्ड या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है।
- (x) प्रस्ताव के लिए विस्तृत निबंधनों और शर्तों का निर्धारण बाजार स्थितियों और अन्य अपेक्षित विनियामक को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अपेक्षित प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से किए जाएंगे।
- (xi) चूंकि प्रस्ताव का मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया जा सका है और यह बाद में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि, यह मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 समय-समय पर यथासंशोधित या अन्य प्रयोज्य या अपेक्षित दिशानिर्देशों/विनियमों/स्वीकृतियों के अनुसार होगी।
- (xii) उपर्युक्त कार्यों के निमित्त बोर्ड को निर्गम के निबंधनों को निर्धारित करने हेतु पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने से संबंधित एक संकल्प पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।
- (xiii) आबंटित इक्विटी शेयर, हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के सम मात्रा में होंगे।
- (xiv) इस उद्देश्य हेतु बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः आपसे उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए सहमति का अनुरोध है।
- (xv) बैंक या इसके निदेशकों या प्रवर्तक में से कोई भी इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

बैंक के निदेशक मंडल नोटिस के कार्यसूची मद में निर्धारित विशेष संकल्प (पों) पर आपके अनुमोदन की **अनुशंसा** करता है।

बैंक के निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों का उपर्युक्त संकल्प(पों) से हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

पद्मजा चुन्डूरु

दिनांक: 25 जनवरी, 2021

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



**Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014**

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (“EGM”) of Shareholders of Indian Bank (“Bank”) will be held on **Tuesday, the 02nd March, 2021** at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

Item No. 1

To raise equity capital upto Rs.4000 Crore through QIP /FPO/Right issue or in combination thereof.

To consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following Resolution(s) as a **Special Resolution(s)**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“The Act”), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“The Scheme”) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 (“The Regulations”), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”), as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way

of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10.00 (Rupees ten only)each, aggregating to not more than Rs. 4000 crore (Rupees four thousand crore only) being within the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 52.00% of the paid up equity capital of the Bank, whether at a premium or at a discount to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies-private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Foreign Portfolio Investors (“FPIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer and allotment shall be either by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), Follow on Public Issue, Rights Issue or in combination thereof with or without over allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and wherever necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign

Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52.00% of the paid up Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in SEBI ICDR Regulations) pursuant to Qualified Institutions Placement, as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/ writings/circulars/ memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutions Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations;

- (a) the allotment of securities shall be made to Qualified Institutional Buyers only as defined under SEBI ICDR Regulations and such securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.
- (b) the Bank is, pursuant to proviso under Regulation 176 (1) of the SEBI ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.
- (c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs, FPIs and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such other agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Banker (s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Legal Advisor (s), Underwriter (s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue (s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of these Resolutions.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution (s).”

By order of the Board of Directors

(Padmaja Chunduru)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 25.01.2021

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):

- a. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 39/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, and 31st December 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circular”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), the EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Chennai. The Agenda item being unavoidable, be transacted at the EGM of the Bank through VC/OAVM.

- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the EGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the EGM will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com.
- e. As the EGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.

3. VOTING RIGHTS:

The Bank has fixed **Tuesday the 23rd February, 2021** as the **Cut-Off Date** for determining the voting rights of shareholders for the said agenda item.

In terms of sub section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are held in the names of joint holders, then first named person is only eligible to nominate and contest.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 62 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 will not be available for the EGM. Therefore, instrument for appointing proxy

and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the EGM.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to ibinvestorrelations@indianbank.co.in, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on **February 25, 2021**.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, no Attendance Slip is required to attend the EGM.

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium and the Shareholders are entitled to attend the meeting, the Attendance Slip Cum entry Pass will be made available at the Venue for the benefit of the Shareholders.

7. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building No.1,
Club House Road
Chennai - 600 002
Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)
Email:-investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager - CFO Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No.-044-28134574 E-mail- cfo@indianbank.co.in	The Asst. General Manager & Company Secretary Indian Bank, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No.044-28134698 Email- ibinvestorrelations@indianbank.co.in
---	--

8. GREEN INITIATIVE:

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered/updated their email addresses are requested to register/update the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form.

9. PROCESS FOR ATTENDING THE MEETING:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Bank will be displayed.
2. The Shareholders can join the EGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis.
3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPads for better experience.
4. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before **February 23, 2021** mentioning their

name, demat account number/folio number, email id, mobile number at ibinvestorrelations@indianbank.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance **on or before February 23, 2021** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at ibinvestorrelations@indianbank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the EGM or by email.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of quorum.

10. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Tuesday, the 23rd February, 2021** (Cut-Off Date fixed for the purpose).

11. DISPATCH OF NOTICE:

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Notice of EGM in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Notice of EGM will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

12. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investor Services Cell for payment of unclaimed/ unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Account” and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the Bank has already transferred unpaid/unclaimed dividend upto FY 2012-13 (both erstwhile Allahabad Bank & Indian Bank) to IEPF.

13. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE:

- a. The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant (“DP”) so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.
- b. Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank’s Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd.
- c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) for any correspondence with the Bank or Bank’s RTA.

14. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank’s RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1st April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

15. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting at EGM process in a fair and transparent manner.

16. PROCESS AND MANNER FOR E-VOTING:

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) –	210129005
Agenda item No. 1: To raise equity capital upto Rs.4000 Crore through QIP /FPO/Right issue or in combination thereof.	

- i. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on **February 23, 2021** (Cut-Off Date fixed for the purpose) for the Agenda item of the notice.
- ii. The Remote e-voting period will commence at **10.00 a.m. on February 26, 2021 and will end at 5.00 p.m. on March 01, 2021**. The Remote e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- iii. The shareholders should log on the e-voting website www.evotingindia.com
- iv. Click on “Shareholders” module.
- v. Now enter your User ID:
 - (a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - (b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - (c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL’s **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from [Login - Myeasi](#) using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL’s **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.
- vi. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vii. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

viii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders).</p> <p>*Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</p>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.</p> <p>If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).</p>

- ix. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- x. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- xi. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- xii. Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- xiii. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xiv. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xv. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

- xvi. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvii. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xviii. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xix. Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app “**m-Voting**”. The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.
- xx. **Note for Non-Individual Shareholders and Custodians:**

Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; murali@cameoindia.com and ibinvestorrelations@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

In case of any queries or issues regarding attending EGM and/or e-Voting from the e-Voting System, please refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ID ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

- (a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Bank/RTA email id: murali@cameoindia.com**.
- (b) For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **Bank/RTA email id: murali@cameoindia.com**.

17. VOTING AT THE EGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The share holder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM or in case physical meeting is held the shareholders present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process during the meeting/at the venue of the meeting.

18. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolution through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.

3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

19. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT EGM:

The Results of the voting during the meeting/at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges

EXPLANATORY STATEMENT:

Raising of Equity Capital by the Bank:

- (i) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.
- (ii) The present shareholding of the Government of India, the promoter of the Bank is 88.06% i.e. more than 75.00%. In terms of the provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 amended vide Govt. of India (GOI) Gazette Notification No. G.S.R. 738 (E) dated 03rd August 2018 and further amended vide GOI Gazette Notification No. G.S.R. 485 (E) dated 31st July 2020, the Bank is required to increase its public shareholding to atleast 25.00% within a period of three years from the date of such commencement, in the manner specified by SEBI. Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital through QIP /FPO/Rights Issue to meet its growth capital requirement as also to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.
- (iv) The Board of Director of the Bank in its meeting dated January 22, 2021 has approved for raising equity capital of the Bank aggregating upto Rs.4000 crore through the different available options subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.
- (v) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.
- (vi) The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

- (vii) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on public issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- (viii) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- (ix) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- (x) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- (xi) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- (xii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.
- (xiii) The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- (xiv) For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.
- (xv) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution (s) as set out in the Agenda Item of the Notice.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

By order of the Board of Directors

(Padmaja Chunduru)

Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 25.01.2021

